

भारत सरकार  
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग  
कार्यपालक अभियंता / उप निदेशक (उद्यान) के लिए विभागीय परीक्षा  
लेखा-III

निर्देश: सभी प्रश्नों को करें। प्रत्येक प्रश्न के आगे अंक दर्शाया गया है।

समय: 3 घंटे

अधिकतम अंक: 100

1. निक्षेप कार्य को परिभाषित करें। निक्षेप कार्यों के लिए अंश दान की उगाही तथा लेखा के निपटारे के प्रावधानों और निक्षेप कार्यों को हाथ में लेने की शक्तियों का उल्लेख करें।

(2x3 = 6 अंक)

2. अप्रत्याषित विषय स्थितियों के प्रावधान तथा इसके उपयोग की मददों का उल्लेख करें। अप्रत्याषित विषय स्थितियों के प्रावधानों के उपयोग के लिए वित्तीय शक्तियों का उल्लेख करें।

(2x2 = 4 अंक)

3. केंद्र सरकार के विभागों द्वारा पट्टे पर निजी इमारतों को किराया पर लेने के लिए उचित किराया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी का उल्लेख करें। उचित किराया के आकलन की विधियों का उल्लेख करें।

(2 + 5 = 7 अंक)

4. निम्नांकित मैनुअल के प्रावधानों का उल्लेख करें :

- i) सीपीडब्ल्यूडी में विभिन्न अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण
- ii) सुरक्षा के लिए भवन / संस्थापन का निरीक्षण
- iii) निजी परामर्शदाता की नियुक्ति

(3x3 = 9 अंक)

5. निम्नलिखित का उल्लेख करें:

- क) विशिष्ट कार्यों के एनआईटी की तैयारी
- बी) दो / तीन लिफाफा प्रणाली के साथ निविदाओं के कॉल के चरणों की सूची
- ग) प्रत्येक चरण के सक्षम प्राधिकारी

(3x3 = 9 अंक)

6. निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख करें:

- क) निविदा के प्रचार की समय सीमा
- बी) निविदा के लिए कम प्रतिक्रिया के मामले में कार्यवाई
- ग) निविदा आमंत्रित करने / स्वीकार करने से पहले शर्त पूरी की जानी चाहिए।
- घ) निविदाकर्ता के साथ बातचीत
- ई) वर्क्स बोर्ड की रचना

(5x2 = 10 अंक)

मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा के अन्तर्गत मध्यस्थता पंचाट चुनौती दी जा सकती है। मध्यस्थता पंचाट की चुनौती देने का आधार तथा मध्यस्थता पंचाट को चुनौती देने के लिए सीमा अवधि का उल्लेख करें। मध्यस्थता / अदालती मामलों की रक्षा में कार्यकारी अभियंता की जिम्मेदारी उल्लेख करें।

(2 + 2 + 3 + 3 = 10 अंक)

8. भंडार / सामग्री की खरीद से संबंधित जीएफआर 2017 के प्रावधान का उल्लेख करें।

(5 अंक)

9. कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, और अधीक्षण अभियंता / पीएम / सीपीएम की जिम्मेदारी का उल्लेख करें।

(4x3 = 12 अंक)

10. विभिन्न अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों का उल्लेख करें।

क) परियोजनाओं / कार्य / उप प्रमुखों / पैकेजों का विभाजन।

ख) मध्यस्थता पंचाट की स्वीकृति / चुनौती

सी) अनुबंध शर्तों को संशोधित करने के लिए शक्तियां।

घ) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वामित्व वाले आवासीय और गैर आवासीय भवनों के लिए मूल उन्नयन, अनुदान, अनुदानों की उपलब्धता के आधार पर, उन्नयन, मरम्मत, मरम्मत और प्रतिस्थापन से संबंधित लघु कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी प्रदान करना।

ई) संविदा की सामान्य शर्तों के अन्तर्गत बाध्यकारी अनुबंध के किसी भी एक दस्तावेज में लिए गये अलग-अलग और विवादित प्रावधानों के मामले में निर्णय लेने वाले सक्षम प्राधिकारी जिसका निर्णय अंतिम है का उल्लेख करें।

(2x5 = 10 अंक)

11. अतिरिक्त / प्रतिस्थापित मदों की दरों के निर्धारण तथा विचलन सीमा से परे विचलित मदों के लिए दरों के निर्धारण के संबंध में संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 12 के अनुसार मूल कार्यों और अनुरक्षण कार्यों के प्रावधान का उल्लेख करें। क्या अतिरिक्त / प्रतिस्थापित मदों के निष्पादन और विचलन सीमा से परे समझौते की मदों के विचलन के लिए आवश्यक योग्य प्राधिकारी की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है? सक्षम अधिकारी का उल्लेख करें।

(2x4 + 1+1 = 10 अंक)

12. समापन प्रमाण पत्र को संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 8 के अनुसार जारी करने के प्रावधान का उल्लेख करें। सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल के अनुसार सीपीएम / पीएम / एसई / डीओएच द्वारा समापन प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान उल्लेख करें। संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 8 में और सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल में समापन प्रमाण पत्र जारी करने की निर्धारित समय सीमा उल्लेख करें।

(3 + 3 + 2 = 8 अंक)